रजिस्टर्ड

संख्या-209/2025/322 के-2/22-3-2024-17(552)/2024

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 26 जून, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी फसाद हुसैन पुत्र श्री जमीर हुसैन, निवासी जनपद-बिजनौर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-16469/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-05.04.2024) दिनांक-10.06.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी फसाद हुसैन पुत्र श्री जमीर हुसैन, जो-तीवड़ी, थाना-धामपुर, जनपद-बिजनौर का निवासी है। ग्राम प्रधान के चुनाव की रंजिश को लेकर पूर्व में हुयी हत्या के बदले की रंजिश को लेकर दिनांक 25.08.2000 को बन्दी ने अपने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर फरसा, बन्दूक व तमन्चों से गोली मारकर मुबारक हुसैन व शाह आलम नामक 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-575/2000, में भा0द0वि0 की धारा- 147, 148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 स्पेशल जज, बिजनौर के आदेश दिनांक 30.07.2010 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील निर्णीत करते हुये मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 06.05.2011 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। उक्त के अतिरिक्त अ0सं0-751/1999, भा0द0वि0 की धारा-25 आर्म्स एक्ट में मा0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिजनौर के आदेश दिनांक 25.08.2011 द्वारा 01 वर्ष का कारावास से दण्डित किया गया तथा सत्र परीक्षण संख्या-35/2003, में भा0द0वि0 की धारा-3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-05, बिजनौर के आदेश दिनांक 01.11.2013 द्वारा 05 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 21.02.2024 तक बन्दी की आयु 41 वर्ष, 02 माह है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी फसाद हुसैन पुत्र श्री जमीर हुसैन को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी फसाद हुसैन (बन्दी संख्या-48743) पुत्र श्री जमीर हुसैन, निवासी जनपद-बिजनौर को फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार बंदी के फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-209/2025/322 के-2/22-3-2024-17(552)/2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ

2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

3- जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में दिनांक 10.09.2024 को पारित आदेशों के सन्दर्भ में।

6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-**2**, उ0प्र0 शासन।

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-209/2025/322 के-2/22-3-2024-17(552)/2024

दिनांक- 26 जून, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी फसाद हुसैन पुत्र श्री जमीर हुसैन, जो-तीवड़ी, थाना-धामपुर, जनपद-बिजनौर का निवासी है। ग्राम प्रधान के चुनाव की रंजिश को लेकर पूर्व में हुयी हत्या के बदले की रंजिश को लेकर दिनांक 25.08.2000 को बन्दी ने अपने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर फरसा, बन्दूक व तमन्चों से गोली मारकर मुबारक हुसैन व शाह आलम नामक 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-575/2000, में भा0द0वि0 की धारा- 147, 148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 स्पेशल जज, बिजनौर के आदेश दिनांक 30.07.2010 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील निर्णीत करते हुये मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 06.05.2011 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। उक्त के अतिरिक्त अ0सं0-751/1999, भा0द0वि0 की धारा-25 आर्म्स एक्ट में मा0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिजनौर के आदेश दिनांक 25.08.2011 द्वारा 01 वर्ष का कारावास से दण्डित किया गया तथा सत्र परीक्षण संख्या-35/2003, में भा0द0वि0 की धारा-3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-05, बिजनौर के आदेश दिनांक 01.11.2013 द्वारा 05 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 21.02.2024 तक बन्दी की आयु 41 वर्ष, 02 माह है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी फसाद हुसैन पुत्र श्री जमीर हुसैन को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।